बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2019 –20 के अन्तर्गत राज्य में धान / सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति कार्यक्रम (15, नवम्बर, 2019 से 31 जुलाई, 2020) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक / त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 4,000 / – करोड़ रूपये (चार हजार करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति।

खरीफ विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत राज्य में धान / चावल अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के द्वारा धान अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस मौसम में मुख्य रूप से प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) / व्यापार मंडल द्वारा सीधे किसानो से धान का क्रय किया जाना है एवं अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर तैयार सी0एम0आर0 राज्य के नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के सी0एम0आर0 केन्द्र पर जमा किया जाना है। पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये धान का मूल्य पंचायत स्तर पर पैक्स / प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के क्रय केन्द्र से PFMS के माध्यम से क्रय के पश्चात् तत्काल भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स / व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत बगल के पैक्स / व्यापार मंडल के साथ उनकी सम्बद्धता की व्यवस्था की जानी है, ताकि किसानों को धान बिक्री हेतु कोई असुविधा न हो।

2. राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति एवं अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को कार्यशील पूंजी के रूप में एक बड़ी राशि की आवश्यकता है।

3. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5321 दिनांक 14.11.2019 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2019–20 के अन्तर्गत धान / चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्य योजना एवं दिशा निर्देश निर्गत किया गया है एवं अधिसूचना सं0 5013 दिनांक 24.10.2019 के अनुसार धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 15.11.2019 से 31.03.2020 तक तथा सी0एम0आर0 का कार्यक्रम दिनांक 15.11.2019 से 31.07.2020 तक प्रभावी रहेगा ।

4. खरीफ विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत राज्य के पंजीकृत किसानों से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30 लाख मे0टन निर्धारित किया गया है। साथ ही भारत सरकार के द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2019–20 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य धान साधारण – 1815 / –रू0 प्रति क्वीं0 निर्धारित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्साहवर्द्धक वृद्धि की गयी है। नोडल अभिकरण के द्वारा वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त किये जाने वाले 2010000 मे0टन सी0एम0आर0 की Acquistion Cost 30,620 / – रूपये प्रति मे0टन की दर से आकलन किया गया है कि वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में 6153 करोड़ रूपये की अनुमानित राशि की आवश्यकता होगी, जिसके लिए 4,000 करोड़ रूपये का क्रियाशील पूँजी विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त किया जायेगा तथा शेष राशि की व्यवस्था विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले विपत्रों के आंतरिक भुगतान से प्राप्त राशि से किये जाने की आवश्यकता है। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि निगम के पास अपनी वित्तीय श्रोत से राशि उपलब्ध नही होने की स्थिति में विभिन्न बैंको से ऋण प्राप्त किये जाने की बाध्यता है, ताकि सुगमतापूर्वक अधिप्राप्ति व्यवस्था का क्रियान्वयन किया जा सके।

5. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में क्रियाशील पूँजी की व्यवस्था के लिए विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक / त्रैमासिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 26.11.2019 को निगम निदेशक पर्षद के 159वीं बैठक में सहमति प्राप्त करते हुए विभिन्न व्यावसायिक बैंको से खरीफ विपणन मौसम, 2019–20 के लिए ऋण प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव दिया गया था, परन्तु

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त प्रस्तावित व्यासायिक बैंको में नाबार्ड से प्राप्त किये जाने वाले 2,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराये जाने पर असहमति प्राप्त होने की स्थिति में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति हेतु निगम मुख्यालय, पटना में आयोजित बैठक में भाग लेने तथा चयनित व्यावसायिक बैंको से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर कुल 4,000 करोड़ रूपये की राशि की बैंक गारंटी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, जो निम्नवत है :–

क्र0सं0	बैंक का नाम	ऋण राशि (करोड़ में)	ब्याज दर (त्रैमासिक MCLR)	ब्याज दर (वार्षिक MCLR)
1	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	100	XX	8.10
2	पंजाब नेशनल बैंक	1500	7.95	XX
3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	200	8.05	XX
4	यूको बैंक	200	8.05	XX
5	बैंक ऑफ बड़ौदा	600	8.15	XX
6	इलाहाबाद बैंक	800	8.15	XX
7	केनरा बैंक	300	8.20	XX
8	इण्डियन बैंक	300	8.20	XX
	कुल योग	**4000**		

6. खरीफ विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को दिया जाने वाला कुल 4,000 करोड़ रू0 की बैंक गारंटी की राशि मात्र धान अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ही मान्य होगा एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात उक्त राशि को संबंधित बैंको को वापस करने की जिम्मेवारी पूर्णतः बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की होगी। उपरोक्त गारंटी दिनांक 31.03.2021 तक ही प्रभावी होगा।

7. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2013–14 एवं 2014–15 में विभिन्न व्यावसायिक बैंको से कुल 3200 करोड़ रू0 का ऋण लिया गया था। साथ ही खरीफ विपणन मौसम, 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में क्रमशः 2200 करोड़, 1900 करोड़, 2500 करोड़ तथा 2500 करोड़ रू0 का ऋण विभिन्न व्यावसायिक बैंको से प्राप्त किया गया था। खरीफ विपणन मौसम, 2018–19 हेतु प्राप्त उपर्युक्त 2500 करोड़ ऋण के विरूद्ध बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा कुल 2826.48 करोड़ रूपये राशि का उपभोग किया गया है एवं बैंको से लिये गये उपर्युक्त राशि के परिप्रेक्ष्य में निगम के पास अद्यतन बकाया 2014 करोड़ शेष है। उपर्युक्त के अतिरिक्त बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रेषित विपत्रों के आलोक में भारत सरकार के स्तर पर 2747.48 करोड़ तथा राज्य सरकार को प्रेषित विपत्र के विरूद्ध 158.84 करोड़ रूपये का भुगतान प्राप्त किया जाना है। उपर्युक्त के आलोक में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को भुगतान प्राप्त होने के उपरांत अवशेष ऋण मद में बकाये राशि का भुगतान वापस किया जाना प्रस्तावित है।

8. खरीफ विपणन मौसम 2019–20 हेतु विभिन्न व्यावसायिक बैंको से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर प्राप्त किये जाने वाले ऋण की राशि को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पृथक स्क्रो (Eschrow) खाते में संधारित किया जायेगा एवं तत्संबंधी लेखा का भी ब्योरा अलग से संधारित किया जायेगा।

9. अतः प्रस्ताव है कि **खरीफ विपणन मौसम 2019 –20 के अन्तर्गत राज्य में धान/ सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति कार्यक्रम (15, नवम्बर, 2019 से 31 जुलाई, 2020) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में कंडिका 05 में अंकित कुल 08 विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 4,000/– करोड़ रूपये (चार हजार करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।**

Scanned with CamScanner

10. मंत्रिपरिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक 14.01.2020 को मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। सचिका संख्या– प्र0–10–विविध–14/2019/12 टि0।

11. संकल्प पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव ।

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र0–10–विविध–14/2019 312 खाद्य–पटना/दिनांक– 20/01/2020

प्रतिलिपि – ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)। अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–14/2019– 312 खाद्य, पटना/दिनांक– 20/01/2020

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–14/2019– 312 खाद्य, पटना/दिनांक– 20/01/2020

प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–14/2019– 312 खाद्य, पटना/दिनांक– 20/01/2020

प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प में उल्लेखित निर्णय के यथानुरूप कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–14/2019– 312 खाद्य, पटना/दिनांक– 20/01/2020

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 14.01.2010 में मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के कार्यान्वयन के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–14/2019– 312 खाद्य, पटना/दिनांक– 20/01/2020

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–04/2019– 312 खाद्य, पटना/दिनांक– 20/01/2020

प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

C:\Users\supply\Desktop\Sankalp.doc

Scanned with CamScanner